13/8/19	पत्रावली प्राप्त हुई। पढ़ा गया। आवेदिका द्वारा लगाये गये आरोप अस्पष्ट निराधार होने से किसी भी विभाग निर्णय प्रकाश में दर्ज नामावली पाकर, शामिल पत्रावली किया गया। अतः फैसला सुनाते हुए नकल से अवगत कराया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner